वर्ष 2 अंक 1 जनवरी 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

संसदीय चुनाव क्या निर्णय करेंगे

कामरेड बी. टी. रणदिवे द्वारा कांग्रेस (आई), जनता पार्टी और लोकदल के घोषणा-पत्रों की समीक्षा व 31 दिसंबर, 1979 को आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित उनके भाषण के कुछ अंश हम नीचे प्रकाशित कर रहे हैं. —संपादक

कांग्रेस (आई)
इससे भारी खतरा है

इंदिरा और उसके पूर्वजों के सारे वादे दो कौड़ी के साबित हुए हैं. इस घोषणापत्र में मुसलमानों और हरिजनों से वादा किया गया है कि उन्हें पुलिस और सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान दिलाये जायेंगे. लेकिन इस तरह के वादों से न तो अल्पसंख्यकों की समस्या ही हल होती है और न उन्हें संरक्षण ही प्राप्त होता है. अंग्रेजों के जमाने में निचली सेवाओं में तो हिंदुस्तानियों को ही नियुक्त किया जाता था. अफसरों के ऊंचे ओहदों पर भी ज्यादातर हिंदुस्तानी ही थे. लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तानी अवाम पर अत्याचार होते रहे, उनकी तकलीफें जारी रहीं. जिन मुस्लिमों और हरिजनों को पुलिस में भर्ती किया जायेगा उनका इस्तेमाल अपने ही भाई-बिरादरों को सताने में किया जायगा और सरकार को निष्पक्ष होने का तमगा मिल जायगा.

अगली दस पंक्तियों में बहुराष्ट्रीय निगमों का काम तमाम कर दिया गया है. देश में उनके दाखिले पर पाबंदी लगाने और हमारे देश और राष्ट्रवासियों का शोषण करने से उन पर रोक लगाने का कहीं कोई वादा नहीं दिखायी देता. यह चेतावनी कहीं नहीं दी गयी कि इनकी कार्रवाइयों से हमारे देश की स्वाधीनता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है. इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं. पुरानी कांग्रेसी सरकारों को, विश्वबैंक पर अपनी निर्भरता के कारण, बहुराष्ट्रीय निगमों को लगातार सर-आंखों पर लेना पड़ा था और वे इतनी कमजोर थीं कि इन निगमों के खिलाफ जबान खोलना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था. वह जमाना याद कीजिए जबकि बहुराष्ट्रीय दवाकंपनियां आदि हमारी जनता को लूट रही थीं, सरकारी आदेशों को जूते की नोंक पर रख रही थीं, मजदूरों पर जुल्म ढा रही थीं लेकिन कांग्रेस सरकारें उनकी वाह-वाह कर रही थीं. यही वह इंदिरा सरकार थी जिसने दवाओं की बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हाथी कमेटी की रिपोर्ट खटाई में डाल दी थी. डांगे साहब जिस वर्ग को देशभक्ति और राष्ट्रीय पूंजीपति का तमगा दे रहे हैं वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रिझाते हैं, उनसे लोहा नहीं लेता.

मजदूरों के बारे में इंदिरा कांग्रेस की महान घोषणा केवल सात पंक्तियों में समाप्त हो जाती है. इसमें उसी बदनाम 20 सूत्री कार्यक्रम की बातें ही दुहरा दी गयी हैं. "उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी हो—कांग्रेस का यह एक बुनियादी उसूल है. उत्पादन और व्यवस्था—दोनों ही क्षेत्रों में हम मजदूरों की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानते हैं. इस भागीदारी को लगातार बढ़ाया जायगा और इस दिशा में सरकारी संस्थाएं अग्रणी भूमिका निभायेंगी. महनतकश तबकों के हितों और कल्याण को लगातार मद्दे-नजर रखना होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय का वह एक बेहद महत्वपूर्ण पैमाना है".

देश में हड़तालों की एक विशाल तरंग आयी हुई है. पिछले बरस दसों लाख कार्य दिवस नष्ट हुए. लेकिन लगता है कि इंदिरा कांग्रेस इससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहती. उसे यही रोग लगा रहा कि प्रबंध में मजदूरों की तथाकथित भागीदारी नहीं है. इसे कहते हैं मगर के आंसू और इन्हें बहाने के लिए इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी दूर-दूर तक बदनाम हैं. चूंकि मजदूर वर्ग का तनिक भी हवाला दिये बगैर काम चलना मुश्किल

[शेष पृष्ठ आठ पर]

पाठकों को बधाई

इस अंक से सीटू मजदूर के प्रकाशन के दूसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर हम अपने पाठकों को हार्दिक बधाई देते हैं.

तानाशाही और सांप्रदायिक ताकतों को करारी शिकस्त दो

सी. आई. टी. यू. और सीटू मजदूर की ओर से पाठकों को नववर्ष की शुभ कामनाएं

कोयला खान कल्याण संस्था क्यों रोगी बनी है

श्रम मंत्रालय ने कोयला खान कल्याण संस्था के काम के बारे में मिली शिकायतों के आधार पर जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी. जनवरी 1979 को दाखिल की गई रिपोर्ट मे इस संस्था में चल रही अनियमितताओं व हेराफेरी के जो तथ्य सामने आए हैं उनसे हर समझदार व्यक्ति भौचक्का रह जाता है. याद रहे यह कल्याण संस्था 1947 में कोल माइंज लेबर वैलफेयर फंड एक्ट के तहत बनाई गई थी.

मुख्य तर्क

रिपोर्ट से पता चलता है कि आयुक्त, वैलफेयर आफीसर (महिला) तथा 40 डाक्टरों के पदों सहित 300 से अधिक पद खाली हैं. इनमें से कई स्थान तो पिछले चार वर्ष से भी अधिक समय से खाली है. नियुक्तियां न करने का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि नियुक्तियां करने के लिए कोई मान्यता-प्राप्त अधिकारी वर्ग (एथारिटी) नहीं है. परिणामत: तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं जिनमें अक्सर ऐसे व्यक्तियों का चयन होता है जो उन पदों के लिए योग्य नहीं हैं.

आर्थिक साधनों का अभाव

संस्था की आर्थिक हालत भी खराब है. एक्ट के तहत कोयला के प्रति टन पर लगे उपकार की सीमा को 0.75 पैसे तय किया गया था. 1973 में इस सीमा को पूरा कर लिया गया था. मूल उपकार का निर्धारण 6 आने प्रति टन (0.37 पैसे) हुआ था जो कि स्थायी मूल्यों के आधार पर अक्तूबर 1978 में 2.02 रुपये था. परिणामस्वरूप यह संस्था दिये गए कामों को पूरा करने में असमर्थ रही है. आर्थिक साधनों पर कुछ और दबाव भी हैं. उदाहरण के लिए अगस्त 1977 में दिए गए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार कोयले को कैप्टिव प्रयोग के लिए रखने पर उपकर देना पड़ता था. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. 1973-74 व 1976-77 के बीच के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि कोयले के 10 प्रति शत से भी अधिक हिस्से पर कोई उपकर नहीं दिया गया. परिणामस्वरूप जब कि संस्था के पास केवल 2.92 करोड़ रुपया है, इस पर 5 करोड़ से भी अधिक ऋण का भार है. कमेटी का अनुमान है कि यदि केवल 50 प्रति शत मजदूरों की आवास समस्या को सुलझाने का कार्यक्रम चालू किया जाए तो इसमें 104 करोड़ रुपये की जरूरत होगी जबकि इस मद में संस्था के पास केवल 12 करोड़ रुपया है. आर्थिक साधनों में महसूस की जा रही कमी को इस प्रकार से भी जाना जा सकता है कि जबकि 1960 में 4 लाख मजदूर थे, 1978 में इनकी संख्या 6 लाख हो गई है.

चिकित्सा सुविधाओं में कमी

संस्था की आर्थिक दशा खराब होने का असर चिकित्सा सुविधाओं पर भी पड़ा है. दूसरी ओर इस संस्था के होने के कारण कोल माइंज एथोरिटी मजदूरों के स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में उदासीन हो गई है. उदाहरण के लिए, सैंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सी. सी. एल.) का अपने क्षेत्र में कोई हस्पताल नहीं है. काला (पश्चिम बंगाल) के केंद्रीय हस्पताल में बीमार लोग फर्श पर लिटाए जाते हैं. हालांकि खानों में कैंसर रोग व्यापक रूप से विद्यमान है. किंतु फिर भी इस दिशा में कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं. दाखिल किए गए टी. बी. के बीमारों को जो भोजन भत्ता दिया जाता था वह मई 1972 से समाप्त कर दिया गया है. रांची के रामकृष्ण मिशन टी. बी. सैनेटोरियम में केवल 30 बिस्तर हैं जबकि सैनेटोरियम उपचार के लिए इंतजार कर रहे बीमारों की सूची बड़ी लंबी है. ईस्टर्न कोलफील्ड्स में टी. बी. के बीमार मजदूरों को 6 महीने तक हाफ पे छुट्टी देने की सुविधा है. किंतु इससे भी टी. बी. के बीमारों को ठीक होने में कोई विशेष फायदा नहीं होता.

गलत योजनाएं

जबकि संस्था के हालात ऐसे गंभीर रूप लेते जा रहे हैं, गलत योजनाओं के कारण बेकार की मदों पर पैसा बरबाद किया जा रहा है. उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में जमाई और कुरासिया में तीस-तीस बिस्तरों वाले दो हस्पताल बनाए गए हैं जिनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है. इसी प्रकार कामगुंडम में 25 बिस्तरों वाला एक हस्पताल अधूरा पड़ा हुआ है.

सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अभी कोई कदम नहीं उठाया है. सीटू का इरादा इस विषय के तमाम तथ्यों को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने का है. सीटू इस विषय में कानून में मूलभूत सुधारों के लिए भी आंदोलन चलाएगी.

मिल्टन साइकिल फैक्ट्री में संघर्ष जारी

सोनीपत की मिलटन साइकिल मजदूर संघर्ष समिति (सीटू) अपनी मांगों के समर्थन में छेड़े गए संघर्ष को जारी रखे हुए है. इनकी मांगों में मुख्य हैं—पूरे ट्रेड यूनियन अधिकार, बहुमत वाली यूनियन को मान्यता देना 11 मजदूरों (जो कि यूनियन के पदाधिकारी के कार्यकारिणी सदस्य हैं) के खिलाफ मुअत्तिली आदेश वापस लेना, फरीदाबाद औद्योगिक ट्रिब्युनल के सामने प्रस्तुत मांगपत्र पर समझौता करना, वार्षिक बढ़ोतरी देना, काम के बराबर घंटे रखना, नौकरी कार्ड देना तथा उन मजदूरों को नियुक्ति पत्र तत्काल जारी करना जिन्हें अब तक नहीं दिया गया है.

प्रधान मंत्री, राज्य मुख्य मंत्री, केंद्रीय व राज्य श्रम मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों को भेजे गए ज्ञापन में यूनियन ने कहा है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल फैसला न लिया गया तो मजदूरों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा.

तमिलनाडु बिजली कर्मियों के वेतन में वृद्धि

अपनी स्थापना के बाद पहली बार सीटू से संबद्ध सेंट्रल आरगेनाइजेशन आफ तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी वर्कर्ज (सी. ओ. टी. आई. डब्ल्यू.) ने तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से हुई वार्ता में हिस्सा लिया. यह अधिकार मजदूरों ने कड़े संघर्ष के बाद हासिल किया है. सीटू संबद्ध यूनियन के नेतृत्व में 20 हजार मजदूर 21 मई 1970 को बोर्ड तथा अन्य यूनियनों के बीच हुए समझौते के खिलाफ हड़ताल पर गए थे. इस समझौते के अनुसार मजदूरों के वेतन में केवल 32 रुपये की वृद्धि हुई थी और वह भी केवल 5 वर्षों तक. सीटू यूनियन ने बोर्ड तथा अन्य यूनियनों के बीच होने वाले 1977 के दूसरे वेतन वृद्धि समझौते पर भी हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था क्योंकि इस समझौते के अनुसार मजदूरों के वेतन में केवल 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद सीटू ने बेसिन ब्रिज तथा एन्नोर थर्मल पावर वर्कर्ज के मजदूरों को मिलाकर एकजुट संघर्ष किए. परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन त्रैमासिक स्तर पर होने लगा जबकि पुराने समझौते के अनुसार यह वार्षिक स्तर पर हो रहा था. यह मजदूरों की महत्त्वपूर्ण जीत थी. सीटू के नेतृत्व वाली यूनियन ने संघर्ष करके दीवाली पर दी जानेवाली अग्रिम राशि पद्धति को दुबारा चालू करवाया जिसे कि प्रबंधकों ने मनमाने तरीके से खुद ही बंद कर दिया था. इस संघर्ष में मजदूरों पर दमन का जो चक्र चलाया गया उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस संघर्ष के दौरान 4 हजार मजदूर जेल गए थे.

इसके बाद इस यूनियन ने बेहतर मजदूरी के लिए आंदोलन चलाया जिसके फलस्वरूप अन्य यूनियनों को अपनी मांगों के वे ही आधार रखने पड़े जैसे सीटू यूनियन रख रही थी. सीटू यूनियन ने 15 नवंबर 1979 को एटक-नेतृत्व वाली फेडरेशन के आह्वान पर की गई सांकेतिक हड़ताल में भी हिस्सा लिया जिससे कि मजदूरों की एकता संघर्षों के माध्यम से मजबूत हो. प्रबंधकों को मजबूर होकर सीटू यूनियन को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा. बातचीत के बाद जो समझौता हुआ उसके अनुसार मजदूरों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी —

(1) दो वर्ष से कम समय से काम कर रहे मजदूरों को 40 रु. प्रति माह न्यूनतम मजदूरी वृद्धि मिलेगी.

(2) तीन वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम समय से काम कर रहे मजदूरों को 50 रु. प्रति माह वृद्धि होगी.

(3) 5 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे मजदूरों को प्रति वर्ष सर्विस वेटेज मिलेगा व 60 रु. से 130 रु. तक वेतन वृद्धि होगी. (60 हजार मजदूर)

(4) वार्षिक बढ़ोतरी की दर बढ़ा दी गई है. न्यूनतम वेतन वाले मजदूर के लिए वृद्धि 15 रु. होगी.

(5) महंगाई भत्ते की प्रति अंक भरपाई की दर 1.25 रु. से बढ़ाकर 1.30 रु. कर दी गई है.

(6) ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम मकान-किराया भत्ता 12 रु. से बढ़ाकर 20 रु. कर दिया गया है.

(7) फील्ड स्टाफ तथा क्लेरिकल स्टाफ के वेतनमान मिला दिए गए हैं.

सेंट्रल आरगेनाइजेशन आफ तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी वर्कर्ज यह जानती है कि इस सबके बावजूद केरल विद्युत कर्मचारियों के मुकाबले तमिलनाडु में विद्युत कर्मचारियों का वेतन 42 रु. कम है. केरल में वेतन 380 रु. (मूल वेतन 270 रु.+महंगाई भत्ता 110 रु.) है जबकि तमिलनाडु में वेतन केवल 338 रु. (मूल वेतन 300 रु.+महंगाई भत्ता 38 रु.) है. यूनियन ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में आंदोलन छेड़ दिया है.

सीटू द्वारा विद्युत इंजीनियरों के दमन की भर्त्सना

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने एक दिसंबर को उत्तर प्रदेश में विद्युत इंजीनियरों पर किए जा रहे दमन के विरोध में निम्नलिखित बयान जारी किया है.

"सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज (सीटू) उत्तर प्रदेश में लगभग 400 विद्युत इंजीनियरों की गिरफ्तारी की जोरदार शब्दों में निंदा करती है. ये इंजीनियर खुद सरकार द्वारा नियुक्त मिश्रा कमेटी रिपोर्ट को लागू किए जाने की मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने मिनी मीसा अध्यादेश भी जारी कर दिया है जिसके अंतर्गत बिना किसी वारंट के लगभग 15 इंजीनियरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सरकार अस्थाई इंजीनियरों को मनमाने तरीके से बड़े पैमाने पर बर्खास्त कर रही है.

विद्युत इंजीनियरों की जायज मांगों को मानने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आंदोलन को देश विरोधी करार दे दिया है. जाहिर है कि ऐसा उसने अपने दमनकारी चरित्र को छिपाने के लिए किया है.

ऐसे समय में जबकि उत्तर प्रदेश के उद्योगों में बिजली वितरण की हालत पहले ही खस्ता है, इस गतिरोध के फलस्वरूप हालत और भी गंभीर रूप धारण कर सकती है. गहराते बिजली संकट के कारण राज्य के सूखे की समस्या भी भयंकर रूप धारण करेगी.

सीटू का यह निश्चित विचार है कि इस प्रकार पैदा हुई आम जनता की तकलीफों और परेशानियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है.

सीटू मांग करती है कि सभी गिरफ्तार विद्युत इंजीनियर तत्काल रिहा किये जाएं, इंजीनियरों के खिलाफ जारी किए गए मुअत्तिली के आदेश वापिस ले लिए जाएं तथा विद्युत इंजीनियरों की मांगे उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था यू. पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसियेशन के साथ सीधी बातचीत करके सुलझाई जाएं.

सीटू सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे विद्युत इंजीनियरों की जायज मांगों का समर्थन करें."

रेलवे मजदूरों का दमन के विरूद्ध संघर्ष

मुरादाबाद लोको शैड (एन. आर.) के मजदूरों ने चार्जमेन श्री कुंडू पर थोपे गये पेनल बदली आदेश के विरोध में टूल-डाउन कर दिया. अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त फेडरेशनों की शाखाओं द्वारा संघर्ष को तोड़ने के प्रयत्न किए लेकिन कैरिज और वेगन तथा खास तौर से एल.आर.एस.ए. आदि के मजदूरों ने संघर्ष में भाग लिया, और अपनी हमदर्दी जाहिर की. इन एसोसिएशनों की एक कोआर्डिनेशन कमेटी ने अधिकारियों को मसला सुलझाने की अंतिम चुनौती दी कि ऐसा न होने पर मजदूरों के सभी हिस्से संघर्ष में शामिल होने के लिए मजबूर होंगे. इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा और अधिकारियों ने दंडात्मक कार्यवाही को वापिस ले लिया. एल आर.एस.ए. ने हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रमाण दिए.

एल. आर. एस. ए. ने हाई पावर कमेटी के समक्ष भाषण दिए

चेयरमेन रेलवे बोर्ड के यह आश्वासन दिलाने पर कि वेतनमानों के प्रश्न पर सीधे बातचीत होगी, एल. आर. एस.ए. ने वेतनमान, काम के घंटे, और रनिंग अलाउंस पर एक व्यापक मांग पत्र पेश किया और हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रमाण दिये. इस मांग पत्र में लोको रनिंग स्टाफ के साथ इन सभी प्रश्नों पर किए गए अन्याय तथा मौजूदा असामान्य स्थिति पर तीव्र प्रहार किया गया. पहली बैठक में कमेटी ने एल.आर.एस.ए. से, उनके विचार में अच्छा समाधान क्या हो सकता है बताने की इच्छा व्यक्त की. एल.आर.एस.ए. ने इसीलिए अपने सुझावों सहित एक पूरक मांग पत्र दे दिया. दूसरी बैठक में, कमेटी ने अपने सुझावों की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रश्न किये. अंत में कमेटी ने सहमति प्रकट की कि एल.आर.एस.ए. हर मुद्दे को न्याय-संगत सिद्ध कर सका है. अंत में कमेटी ने एल.आर.एस.ए. को यह लिखित रूप में देने को कहा कि वह स्टीम और डीजल के क्लीनर को काम के किन गुणों के आधार पर सेमी-स्किल्ड वेतमान दिलाना चाहती हैं. कहा जाता है कि कमेटी जनवरी 1980 के अंत तक अपनी रिपोर्ट दे देगी.

लोको मकेनिकल शेड स्टाफ संघर्ष की राह पर

इंडियन रेलवे लोको मकेनिकल स्टाफ एसोसियशन जिसमें डीजल और स्टीम लोको शेड के कर्मचारी संगठित हैं, एल.आर.एस.ए., जिसने पिछले तीन दशकों से उनपर किए गये अन्यायों का पर्दाफाश किया है से प्रभावित होकर वे अब दस्तावेजों द्वारा यह साबित करने के लिए आगे आए हैं कि किसी भी पे कमीशन ने कभी भी लोको शेड द्वारा किए गए काम का मूल्यांकन नहीं किया. 1948 का रेलवे वर्कर्स क्लासीफिकेशन ट्रिब्युनल कभी भी लोको शैड नहीं गया लेकिन रेल अधिकारियों ने उनपर वर्क शाप के वेतनमान थोप दिए. पिछले दो दशकों में जब डीजल शेड लगाए गये थे, मजदूरों को तकनीकि विकास के कोई भी लाभ नहीं मिले जो कि उन्हें मिलने चाहिए थे. इसी प्रकार से पिछले एक दशक या उससे ज्यादा में, जब कि पुराने स्टीम इंजनों को, जिसके पार्ट्स को एक इंजन से दूसरे इंजन में लगाकर काम में लाया जा रहा है. बलपूर्वक अधिक वर्क-लोड थोपा जा रहा है जबकि कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है. एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी की 23 दिसंबर को बंबई में बैठक हुई जिसमें मांग पत्र तैयार करने का फैसला किया गया जिससे इस पर रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जा सके.

ए. आई. एल. आर. एस. ए. की जनवरी में बैठक

ए. आई एल. आर. एस. ए. की सी. डब्ल्यू. सी. की पहले होने वाली मीटिंग अब 21 और 22 जनवरी को सिकंदराबाद में होगी. इस मीटिंग में वर्तमान हालात पर गौर किया जायगा और अपनी आगरा में होने वाली मीटिंग के लिए तारीख निर्धारित की जाएगी.

एन. ई. आर. अधिकारियों ने समझौते लागू नहीं किया

16 दिसंबर को चारबाग लोको शैड (एन. ई. आर.) में एक मीटिंग हुई जिसे उन यूनियनों व एसोसिएशनों के नेताओं ने संबोधित किया जिन्होंने पहले ही एक संघर्ष समिति बना ली है. सीटू की ओर से पी. के. टंडन ने इसे संबोधित किया. इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें एन. ई. आर. के अधिकारियों के आर. पी. एफ. समर्थक रवैये की निंदा की गई. इस बीच पुलिस ने आर. पी. एफ. द्वारा दायर किए गए एफ. आई. आर. के बारे में तो जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी जबकि डी. एम. ई. और लोको फोमैरन द्वारा दायर एफ. आई. आर. को अनदेखा किया गया. संघर्ष समिति ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि समझौता को लागू नहीं किया गया तो संघर्ष आगे जारी रखा जायगा. एन. ई. रेलवे, एल. आर. एस. ए. 23 और 24 दिसंबर को लखनऊ में आगे का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए मिली क्योंकि उनके साथ किया गया पिछला समझौता भी लागू नहीं किया गया. समझा जाता है कि लोको रनिंग स्टाफ शिकायत कमेटी की 28 दिसंबर की मीटिंग में इन दोनों समझौतों को लागू करवाने के बारे में विचार विमर्श होगा.

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की कीमत 50 पैसे

वार्षिक चंदा 6 रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम 5 प्रतियां.

लिखें :

'सीटू मजदूर'

6, तालकटोरा रोड,

नयी दिल्ली–110001

जापान : वसंत संघर्ष 1980 के लक्ष्य

जापान में जीवन के मान विभिन्न प्रकार के हो गए हैं. जीविका संबंधी अनेक समस्यायें पैदा हो गई हैं. दूसरी ओर सत्ताधारी दल विस्तृत व्यापारवाद के माध्यम से जीवन के स्तर को तय करने को प्रोत्साहन दे रहा है और प्रबंधक-समाज के लक्षण विकसित हो रहे हैं. इन सबके कारण मजदूरों और जन-जीवन के विभिन्न नजरियों को दर्शाने वाली कई समस्याओं ने जन्म ले लिया है.

इन बातों का फायदा उठाते हुए अनुदारवादी (कंजरवेटिव) उन्हें अपने स्वार्थों के लिए कभी उनकी फौरी मांगें मान कर और कभी उनमें फूट डाल कर व आपस में भिड़वा कर संगठित कर रहे हैं. 1980 के दशक में अनुदारवादियों व सुधारवादियों में मुकाबला इस बात पर केंद्रित होगा कि सोह्यो (जनरल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंज आफ जापान) इन लोगों और मजदूरों के साथ उनकी बुनियादी जरूरतों के आधार पर किस हद तक एकजुटता के संबंध स्थापित कर पाती है और उन्हें अपनी संस्था में शामिल कर पाती है.

अनुदारवादियों के उपरोक्त कारनामों से और उनके इस प्रचार से कि जापानी ट्रेड यूनियन आंदोलन बड़े सरमायेदारों द्वारा नौकरी दिए गए संगठित मजदूरों के हितों की ही मुख्यत: रक्षा करता है. इससे पैदा हुई समस्याओं पर जुलाई 1979 में टोकयो में आयोजित की गई सोह्यो की 59 वीं सालाना कनवेंशन में विचार किया गया. आगामी 1980 के दशक को मध्ये नजर रखते हुए मजदूरों और श्रमिक जनों की जीविका व अधिकारों की रक्षा के लिए एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया. यह कार्यक्रम श्रम मोर्चे को एकजुट करने, सोह्यो को प्रभावशाली बनाने, निर्णायक समितियों में ट्रेड यूनियनों की भागीदारी और 1980 में जनता के बसंत संघर्ष की नीति पर जोर देता है.

सोह्यो को प्रभावशाली बनाने के लिए, यह निचले स्तर से ही यूनियनों के मतभेद खत्म करते हुए ट्रेड यूनियनों की एकता के लिए कोशिश करेगी. इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों, जन संगठनों महिलाओं और नागरिकों के दलों से जनवादी संबंध स्थापित करेगी. इसने अपने कार्यकर्त्ताओं का आह्वान किया है कि वे अपने कार्यस्थलों पर, महल्लों में, फैक्ट्रियों व समूचे समाज में अपनी रोजमर्रा की बातों में मजदूरों की समस्याओं पर बहस करें, और अपने चारों ओर रचनात्मक कार्यवाहियां आयोजित करें. ये गतिविधियां जन-सिद्धांत को मजबूत बनाते हुए ट्रेड यूनियन जनवाद को बढ़ावा देंगी.

श्रम मोर्चे को एकजुट करने के बारे में सोह्यो कहती है कि सरकार और मालिकों के गठजोड़ के तहत समूचे उद्योगों में वेतन पर प्रतिबंध और युक्तिकरण अभियान के खिलाफ अकेली यूनियन के लिए अलग से संघर्ष करना अब मुमकिन नहीं है. औद्योगिक मांगों की पूर्ति के लिए सभी ट्रेड यूनियनों में एकजुट कार्यवाहियां आयोजित करने की भावना भी मौजूद है. राष्ट्रीय श्रम केंद्रों में ऐसी कार्यवाहियों की निहायत जरूरत पर जोर भी दिया गया है. लेकिन, सोह्यो श्रम मोर्चे को एकजुट करने के लिए एक कारगर नीति बाद में घोषित करेगी.

जन बसंत संघर्ष की मध्यनीति एकाधिकार पर केंद्रित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजदूरों और जनता के समर्थक ढांचे में बदलना है. यह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ और एकाधिकारवादी पूंजीपतियों के विरुद्ध नजरिये की बुनियाद पर है. सोह्यो का कहना है कि अनुदारवादियों और सुधारवादियों में गठबंधन की नीति, जो बुनियादी बदलावों से दूर है, को नहीं मान सकती. लेकिन, इसका कहना है कि इस संकट ग्रस्त राजनीतिक हालत में हमें जनता के विभिन्न वर्गों को एकजुट करना होगा जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों के खिलाफ और मध्यस्तरीय लक्ष्यों को एक-एक करके प्राप्ति के लिए कार्य के समर्थक हों. और इस तरह मध्यस्तरीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग खुलेगा.

सोह्यो अंतत: समाजवादी पार्टी के लिए अपने समर्थन से पैदा होने वाले प्रश्नों सहित ट्रेड यूनियनों व राजनीतिक दलों के बीच संबंधों का फिर से जायजा लेने का सुझाव देती है.

यूगोस्लाव डेलिगेशन द्वारा सीटू को निमंत्रण

यूगोस्लाविया को कनफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज की काउंसिल के अध्यक्ष मंडल के सदस्य और भारत में इंटरनेशनल को-आपरेशन काउंसिल के अध्यक्ष कामरेड जोसिप फ्रानिक 10 दिसंबर 1979 को हमारे कार्यालय में आए. उनके साथ दो अन्य साथी भी थे. सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन की ओर से सेक्रेटरी का. नृसिंह चक्रवर्ती और वर्किंग कमेटी की सदस्या का. विमला रणदिवे व अन्य साथियों ने उनका अभिनंदन किया. कामरेड फ्रानिक ने सीटू को वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कानफ्रेंस आन ड्वेलपमेंट में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया. यह कानफ्रेंस मुख्यत: विभिन्न ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने की कोशिश करेगी ताकि इस विषय में सहमति के मुद्दों का पता लगाया जा सके.

एजेंटों से

कृपया आप अपने बकाया बिलों का तुरत भुगतान कर दें. इससे हमें पत्रिका को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी. सहयोग के लिए धन्यवाद.

—मैनेजर

एच.एस.सी.एल. ने मजदूर के हत्यारों के मुअत्तिली आदेश वापस लिए

दुर्ग के अतिरिक्त सेशन जज श्री ओ. पी. शर्मा के फैसले के अनुसार—**"इसलिए यह निर्णय बेहिचक दिया जा सकता है कि अभियुक्त एच एस. मिश्रा व एस. एन. सिंह ही बुधराम की मौत के लिए जिम्मेदार हैं. इसलिए इन दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (II) के तहत इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है. अभियुक्त एच. एस. मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 323 के तहत आपाराध को गम्भीर व जयसिंह को मामूली चोटें पहुंचाने के लिए भी दोषी ठहराया जाता है."**

काम. बुधराम एच. एस. सी. एल. वर्कमैंज यूनियन (सीटू) के सक्रिय कार्यकर्त्ता थे. 30 सितंबर 1978 को बी. एम. एस. से संबद्ध कुछ गुंडों ने एच. एस. सी. एल. के मुख्य कार्यालय के सामने उन पर बहशियाना हमला किया. बुधराम ने उसी रात हस्पताल में दम तोड़ दिया.

एच. एस. सी. एल. वर्कमैंज यूनियन ने उस दिन अपने मांगपत्र के समर्थन में जुलूस निकाला था जिस पर इन गुंडों ने खतरनाक हथियारों सहित हमला किया था. काम. बुधराम इसी हमले के शिकार हुए.

माननीय अतिरिक्त सेशन जज ने आगे कहा—**"ये दोनों अभियुक्त एस. एस. भट्टाचार्य (महासचिव, एच. एस. सी एल. वर्कमैंज यूनियन, भिलाई—संपादक) को सबक सिखाना चाहते थे जिसमें वे नाकाम रहे. उनके स्थान पर बुधराम इनके शिकार बने तथा यूनियन के अन्य सदस्यों को गंभीर व मामूली चोटें आईं. इन परिस्थितियों में मैं महसूस करता हूं कि इन दोनों को कारावास का दंड दिया जाए जिससे कि इस प्रकार की यूनियनें आगे से ऐसी हरकतें न करें."**

जज महोदय ने दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच साल के सख्त कारावास की सजा दी. अभियुक्तों ने इस फैसले के विरुद्ध अपील की है.

आश्चर्य की बात है कि इस फैसले के बाद भी एच. एस सी. एल. के प्रबंधकों ने इन अभियुक्तों के मुअत्तिली के आदेश वापिस ले लिए है. इससे आम मजदूरों के मन में यह शंका घर करती जा रही है कि इन हमलों में प्रबंधकों का भी कुछ हाथ है.

जबकि मजदूरों को बेबुनियाद आधारों पर कई-कई महीनों के लिए मुअत्तिल कर दिया जाता है, एच. एस. सी. एल. प्रबंधकों का यह 'उदार' कदम उनके सीटू विरोधी नजरिए को दिखाता है.

याद रहे कि एच. एस. सी. एल. वर्कमैंज यूनियन बनने के एकदम बाद ही प्रबंधकों ने सजा के तौर पर भट्टाचार्य का तबादला कुद्रेमुख कर दिया. मजदूरों ने इस मनमाने आदेश के विरुद्ध आवाज उठाई और इस मामले को मध्यस्ता के लिए भेज दिया गया. मध्यस्थ ने फैसला दिया कि भट्टाचार्य के विरुद्ध तबादले का आदेश मनमाना था. इसके बाद भट्टाचार्य को एक झूठ फौजदारी मामले में फंसाया गया. इस सिलसिले में उनकी मुअत्तिली का आदेश अभी हाल में ही वापिस लिया गया है. किंतु प्रबंधक बदले की भावना से प्रेरित होकर उनको परेशान करने व उनकी ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में अड़चनें पैदा करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं.

भिलाई के एच. एस. सी. एल. के मजदूर दृढ़तापूर्वक सीटू के साथ हैं. उन्होंने प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि मजदूर आंदोलन के खिलाफ अपनाए जा रहे दमनकारी तरीकों को बंद करें अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे.

ई. एस. आई. सी. के कर्मचारियों का बोनस के लिए संघर्ष

ई. एस. आई. सी. के अधिकारी वर्ग द्वारा अपने पहले किए गए वायदे के अनुसार कर्मचारियों को बोनस न देने के रवैये के खिलाफ कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है. हाल ही में रेलवे, डाक व तार तथा रक्षा कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा के बाद उनकी यह मांग और भी जायज़ बन जाती है.

बोनस की मांग के समर्थन में 20 दिसंबर से एक सप्ताह के धरने का आयोजन किया गया जिसमें देश भर की 19 ई. एस. आई. यूनिटों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. 20 दिसंबर को ही आल इंडिया ई. एस. आई. सी. एम्पलाईज फैडरेशन के महासचिव ने एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि बोनस की अदायगी इस निगम के पास मौजूद अतिरिक्त राशि का केवल 0.25 प्रति शत भाग होगी और इस मांग को नकारने का कोई औचित्य नहीं दिखता. अन्य लोगों के अतिरिक्त सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने मजदूरों को उनके संघर्ष के लिए मुबारकबाद दिया और बताया कि ई. एस. आई. कारपोरेशन वेतनजाम की दिशा में बढ़ रही है. उन्होंने मांग की कि बोनस स्थगित-वेतन के सिद्धांत के आधार पर मिलना चाहिए और इस दिशा में चल रहे संघर्ष के लिए उन्होंने सीटू की ओर से पूरे समर्थन का आश्वासन दिया.

कोरबा मजदूरों द्वारा सीटू संघर्ष राशि में अनुदान

कोयला श्रमिक संघ के नेतृत्व में संगठित कोरबा क्षेत्र के कोयला मजदूरों ने सीटू संघर्ष राशि में 4,750 रुपये का अनुदान दिया है. सीटू ने इस अनुदान के लिए मजदूरों को धन्यवाद दिया है.

सीटू की केंद्रीय सरकार से बैलाडिला में हस्तक्षेप की मांग

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 11 दिसंबर को निम्नलिखित बयान जारी किया :

"सेंटर आफ इंडियन ट्रेड, यूनियंज एन· एम. डी. सी. के अधीन बैलाडिला समूह के 3,500 आइरन ओर मजदूरों को मुबारकवाद देती है जो अपनी मांगों के समर्थन में 8 नवंबर से हड़ताल पर हैं. मजदूरों की मांगों में वेतनमानों में संशोधन, छुट्टी की सुविधाओं में बढ़ोतरी, मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करना आदि शामिल है.

एन. एम. डी. सी. के प्रबंधकों के अड़ियल रवैये को देखते हुए मजदूरों के सामने हड़ताल पर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया था. ऐसा लगता है कि प्रबंधकों ने पहले किये गए फैसलों व वादों के आधार पर दी जा रही सुविधाओं को भी वापिस ले लिया है. इसके अलावा प्रबंधकों द्वारा सीटू से सम्बद्ध बैलाडिला मजदूर यूनियन के साथ भेदभाव वाला बर्ताव किया जा रहा है और इसे समझौता वार्ता में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया है. क्योंकि मजदूरों का बहुमत इसी यूनियन से सम्बद्ध है इसलिए उनमें प्रबंधकों के बर्ताव के खिलाफ रोष है.

सीटू केंद्रीय सरकार से अपील करती है कि वह एन. एम. डी. सी. के प्रबंधकों पर जोर डालें कि वे सीटू यूनियन के साथ समझौता-वार्ता करें तथा बिना देरी किए सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयत्न करें जिससे कि यह लम्बी हड़ताल जल्दी से जल्दी समाप्त हो.

सीटू बैलाडिला आइरन ओर के मजदूरों से अपील करती है कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए तब तक एकजुट संघर्ष करें जब तक ये मांगें मान नहीं ली जातीं.

नाविकों ने 28 नवंबर को सांकेतिक हड़ताल की

फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया (सीटू) के आह्वान पर 40 हजार नाविकों में से अधिकांश नाविकों ने 28 नवंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की. प्रबंधकों द्वारा पोषित नेशनल यूनियन आफ सीमैन आफ इंडिया ने हड़ताल तोड़ने की पूरी कोशिश की पर नाकाम रहे. आम नाविकों ने इन विघटनकारी कोशिशों का जवाब अपनी एकजुटता से दिया.

हड़ताल का आह्वान जिन मुद्दों पर किया गया था वे हैं— नौकरियों में केज्युल पद्धति की समाप्ति, 'साइन आफ' से 'साइन आन' तक बेकारी भत्ता, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ. एल. ओ.) के सुझाव के अनुसार 78 स्टर्लिंग पाउंड मासिक वेतन, डबैल मेडिकल एक्जामिनेशन पद्धति का अंत, रनेज के अनुसार मैनिंग स्केल, वार्षिक वेतन वृद्धि की पद्धति लागू करना, जहाजरानी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, नाविकों के लिए श्रम कानून में सुधार तथा गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों को मान्यता देना.

बंबई हल्दिया, विशाखापतनम् तथा मद्रास में हड़ताल सफल रही. कलकत्ता में न केवल पूरी हड़ताल रही बल्कि इस दिन एक विशाल जुलूस भी निकाला गया. यह जुलूस बाद में एक आम सभा में बदल गया जिसमें अन्य नेताओं के अलावा एम. के. पंधे, एम. ए. सईद, के. के. राय गांगुली तथा आशुतोष बनर्जी ने भाषण दिए.

इस हड़ताल ने नाविकों के हर वर्ग में उत्साह भर दिया है. परिणामस्वरूप नाविक अधिक से अधिक संख्या में सिट्टू यूनियन को छोड़कर फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया के झंडे तले आ रहे हैं. फारवर्ड सीमैंज यूनियन ने नाविकों को आगाह किया है कि यदि अधिकारी वर्ग उनकी मांगें नहीं मानते है तो उन्हें आगे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए.

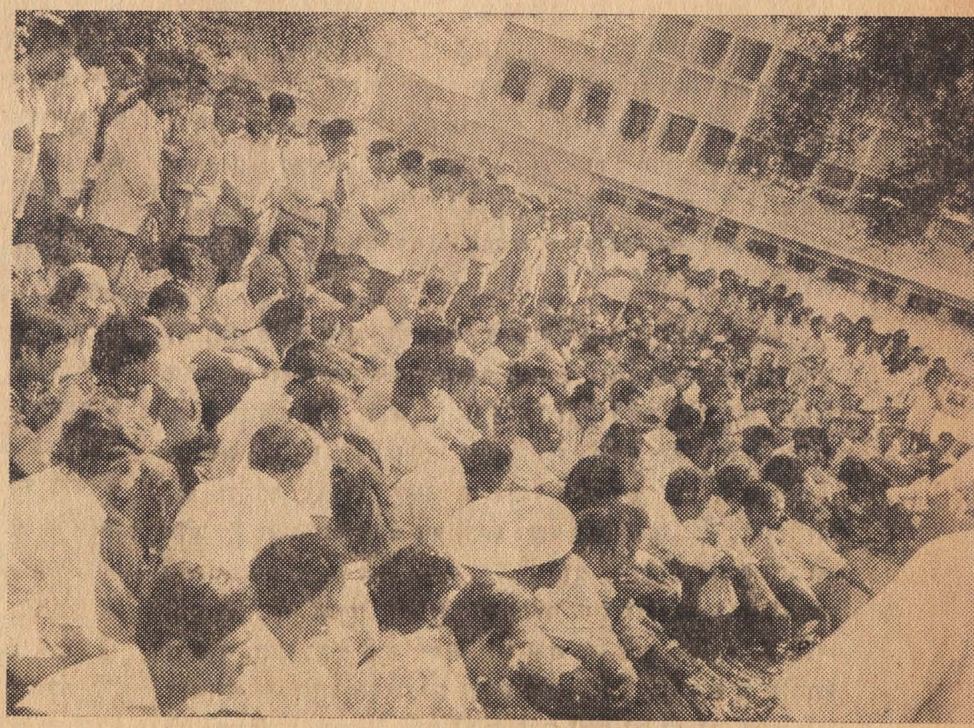

हड़ताल के बाद कलकत्ता के नाविकों की रैली का एक दृश्य

[मुख पृष्ठ से आगे]

था इसलिए घोषणापत्र में प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी की फुलझड़ी छोड़ दी गयी और इसके परदे में मजदूर वर्ग और कर्मचारी समुदाय की उस जरूरी मांगों को एक तरफ रख दिया गया जिनके लिए बड़े-बड़े संघर्ष चल रहे हैं. इस परदे में इंदिरा गांधी बड़े पूंजीपतियों को भरोसा देना चाहती है कि मजदूर वर्ग की मांगों पर उसी तरह फौलादी शिकंजा कस दिया जायगा जिस तरह इमर्जेंसी में किया गया था.

यही वजह है कि इस घोषणापत्र में आवश्यकता पर आधारित वेतन का कोई जिक्र ही नहीं. इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं कि मजदूरों को बढ़ती हुई महंगाई से बचाने के लिए उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए. बोनस एक रुके हुए या स्थगित वेतन के रूप में ही गायब नहीं है बल्कि बोनस का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, गोया बोनस नाम की कोई चीज होती ही न हो. इसके अलावा इस घोषणापत्र में न तो बेरोजगारी भत्ते का कोई जिक्र है और न ट्रेड यूनियन अधिकारों की ही बात की गयी है. संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन की इस मांग को कोई अहमियत ही नहीं दी गयी कि गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों को मान्यता मिलनी चाहिए. इंदिरा कांग्रेस का इशारा बिल्कुल साफ है. वह अपने आदमियों और चापलूसों को मान्यता दिलाने की इच्छुक है, गुप्त मतदान की नहीं. इस सबके अलावा इसका भी वादा नहीं किया गया है कि जबरन जमा योजना दुबारा से चालू नहीं की जायगी.

घोषणापत्र में कोई नयी बात नहीं. इमर्जेंसी के जमाने के लिए जो मजदूर-कर्मचारी विरोधी कार्यक्रम बनाया गया था उसी के पन्नों की धूल झाड़ कर नये घोषणापत्र के रूप में पेश कर दिया गया है. पुराने जमाने में इंदिरा का योजना आयोग मजदूरों को ज्यादा वेतन पानेवाला तबका बताता था, अब इंदिरा कांग्रेस इन मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों को काटने-छांटने के लिए जनता से हुक्म मांग रही है. कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि घोषणापत्र उनकी हस्ती को ही कुछ नहीं समझता. अलबत्ता कर्मचारी के नाम पर उसमें शिक्षकों की बात की गयी है और वादा किया है कि राष्ट्रीय आयोग से उनके वेतन आदि की जांच करायी जायगी.

जनता पार्टी के शासनकाल में जिनकी भूमि छिन गयी थी उन्हें तो वापस दिलायी जायगी परंतु खेत जोतने वालों को भूमि दिलाने का कोई वादा नहीं किया गया. आज यह हालत है कि 10% लोगों के कब्जे में देहाती इलाके की 10% सम्पत्ति (भूमि समेत) है. इस ओर ध्यान न देकर इंदिरा कांग्रेस बड़े जमींदारों के हितों की रक्षा करने का वादा कर रही है. जोत की अधिकतम सीमा के बारे में एक लफ्ज तक कहने जरूरत नहीं समझी गयी. जमींदारों के पास जो लाखों एकड़ गैर कानूनी भूमि है उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया. योजना आयोग ने लगभग 210 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि का अनुमान लगाया है उसका तो कहीं उल्लेख ही नहीं है. भला जमींदारों को और चाहिए भी क्या ?

जनता पार्टी

ऊंचे दावे : फीके काम

जनता पार्टी का घोषणापत्र बड़े फख्र से दावा करता है कि जनता राज में कीमतों में स्थिरता आ गयी थी. इससे बढ़ कर शर्मनाक दावा और नहीं हो सकता. मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों से परेशानी के कारण जनता ने कांग्रेस को 1977 के चुनावों में उखाड़ फेंका था. लोगों को उम्मीद थी कि जनता पार्टी आसमान छू रही कीमतों से कुछ राहत दिलायगी. कीमतों में कुछ उतार आयगा. किंतु, जनता पार्टी है कि कीमतों की ऊंचाई बदस्तूर कायम रखने को एक शानदार कारनामा समझ रही है.

जनता पार्टी कहती है कि उसकी सरकार ने बेरोजगारी में बढोतरी को रोक दिया. नये लोगों को नौकरियां दी गयीं. यह भी शेखियों के सिलसिले की नयी कड़ी है, क्योंकि रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती रही. सच तो यह है कि रोजगार कार्यालय के अनुसार 1976-77 में 1 करोड़ 6 लाख लोग बेरोजगार थे. 1977-78 में यह संख्या 1 करोड़ 19 लाख हुई. फरवरी 1978 में 1 करोड़ 32 लाख हो गयी और जुलाई 1979 में 6 लाख लोग इसमें और बढ़ गये. जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी में 30% की बढ़ोतरी हुई है. जनता सरकार की नीतियों के कारण राहत मिलना तो दूर रहा आर्थिक समस्या और ज्यादा उग्र होती रही.

अनेक हड़तालों को कुचलने तथा मिनी भीसा जैसे कानून लगाने के लिए जनता पार्टी दावा करती हैं कि वह मेहनतकश जनता के न्यायोचित हड़ताल के अधिकार की रक्षा करेगी. प्रत्येक हड़ताल के दौरान जनता पार्टी की सरकार की पहली मांग यह रहा करती थी कि पहले हड़ताल वापस लो तब बातचीत शुरू की जायगी आज जनता पार्टी कहती है कि वह विवादों को सुलझाने के लिए बहुत प्रभावशाली पद्धति अपनायेगी, जबकि खुद अपने शासन काल में उसने ट्रेड यूनियन आंदोलन को "औद्योगिक संबंद्ध बिल" के अलावा कुछ नहीं दिया.

हालांकि जनता पार्टी ने 14 वादे किये हैं, परंतु महंगाई भत्ता और जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की पूरी भरपाई करने का कोई वादा नहीं किया गया है. सब लोग जानते हैं कि पूंजीपति और इजारेदार घराने महंगाई भत्ते के दुश्मन हैं. ऐसे समय में जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में मंहगाई भत्ते का जिक्र न होना मुद्रास्फीति से उत्पन्न मंहगाई की पूरी भरपाई की व्यवस्था न होना पूंजीपति वर्ग को खुश करने के अलावा कुछ नहीं है. ऐसे घोषणा-पत्र का स्वागत वे ही लोग कर सकते हैं. क्या श्री मधु दंडवते इस विषय में कुछ कहने की कृपा करेंगे ?

इस प्रकार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन, बढ़ती हुई महंगाई की पूरी भरपाई और बोनस के सवाल पर झांसा देकर असंगठित मजदूरों के न्यूनतम वेतन कानून आदि पर बात शुरू कर दी गयी है. यह बात अलग है कि वादे निभाने की

नीयत यहां भी नहीं. जनता पार्टी खूब जानती है कि असंगठित मजदूरों के बारे में लंबी-चौड़ी हांकने से कोई नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि वे लोग संगठित होकर विरोध तो करेंगे नहीं लेकिन जनता पार्टी को समान काम के लिए समान वेतन का वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि कामगार महिलाएं संगठित हो रही हैं और वे इन वादों को सिर्फ घोषणा पत्र की शोभा बढ़ाने वाली वस्तु नहीं रहने देंगी.

जनता पार्टी के घोषणापत्र में विदेशी पूंजी का जिक्र तक नहीं है तथा देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अस्तित्व, उनके द्वारा किये जा रहे शोषण और भारतीय जनता के लिए उनके द्वारा उपस्थित खतरे का उल्लेख करने के मामलों में जनता पार्टी एकदम लाजवंती हो उठी है. भेल (बीएचईएल) को बेच देने के बाद इस बारे में कुछ कहा भी कैसे जा सकता है? घोषणापत्र विश्व बैंक को न्योता देता हुआ कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों पर आंच नहीं आने दी जायगी. इंदिरा ने भी यही विश्वास दिलाया है. इस पर जनता पार्टी आर्थिक स्वातंत्रता की रक्षा करने का दावा कर रही है. बहुत खूब.

लोकदल

इसके क्या वादे हैं

लोकदल के घोषणापत्र में गोलमाल ढंग से आम बातें कह कर ही काम चला लिया गया है, मानों इमर्जेंसी में कुछ हुआ ही न हो, जनता पर अत्याचार न हुए हों, मानों मौजूदा चुनावों में तानाशाही की ताकतों का खतरा सिर पर न मंडरा रहा हो. लोकदल के घोषणापत्र में तानाशाही हमलों के खिलाफ जनवादी अधिकारों की रक्षा का वादा करने की बजाय उसी तरह के गोलमाल बयान दिये गये हैं जैसे एमर्जेंसी से पहले अनेक राजनैतिक पार्टियां दे रही थीं.

लोकदल की नीति होगी 'औद्योगिक शांति बढाना, पैदावार की अड़चनें दूर करना, उत्पादन में वृद्धि करना तथा मजदूरों के प्रति दुर्व्यवहार और उसकी मनमानी बर्खास्तगी को रोकना" इसमें से यदि अंतिम बात को छोड़ दें तो बाकी मामलों में यह नीति खालिस पूंजीवादी नीति है. पैदावार न रुके, उत्पादन बढ़े और आवश्यकता पर आधारित वेतन और बोनस दिये बगैर मजदूरों की कुशलता बढ़ जाय—आखिर इसके अलावा पूंजीपति और चाहते क्या हैं?

लोकदल का घोषणापत्र कहता है: "लोकदल ऐसे कदम उठायगा जिनसे वेतन वृद्धि को उत्पादकता में वृद्धि से जोड़ा जा सके." यह पूंजीपतियों के पक्ष का खुला समर्थन है. यह तो टाटा और बिड़ला की मुंह मांगी मुराद है. इमर्जेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने इसी को तो संभव कर दिखाने के लिए जोर लगाया था. पूंजीपतियों की यही तो मांग है कि अगर मजदूर अपने मौजूदा तुच्छ वेतन में जरा भी बढ़ोतरी चाहते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा खून-पसीना एक करना पड़ेगा. उनके अपने मुनाफों में चाहे अरबों की बढ़ोतरी हो जाय. लेकिन मजदूरों के वेतन में एक रुपये की भी बढ़ोतरी तभी होगी जब वह और ज्यादा काम करेगा.

लेकिन, कांग्रेस (आई) और जनता के मुकाबले लोकदल में यह फर्क जरूर है कि इसने मजदूरों की कम से कम एक प्रमुख मांग तो मानी है. "लिहाजा, लोकदल ऐसा कानून बनायगा जिसके मुताबिक बड़े उद्योगों में एक उद्योग में एक ही यूनियन होगी जो प्रबंधकों से बातचीत करेगी—और यह तय करने के लिए कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व कौन सी यूनियन करेगी समय-समय पर गुप्त मतदान कराया जायगा." अच्छी बात है.

लोकदल का देहाती रुझान गांव के लिए उसका फिक्र, खेत मजदूरों तक नहीं पहुंचता. वह इस बात पर तो गौर करता है कि 1961 में खेत मजदूरों का प्रतिशत 16.37 था जोकि 1977 में बढ़कर 26.33 तक पहुंच गया. वह इस पर भी गौर करता है कि खेत मजदूर की मजदूरी शहर के मजदूर से कम है. लेकिन, वह खेत मजदूरों को कुछ राहत पहुंचाने का वादा नहीं करता—न मजदूरी में वृद्धि, न मजदूरी का कानून और न रिहायिश की जगह. दौलतवालों ने एक बार फिर दिखा दिया कि गरीबों के लिए उनका नजरिया कैसा है. खेत मजदूरों के प्रति जमींदारों का रवैया कैसा है.

लोकदल के घोषणापत्र में अनेक महत्वपूर्ण बातों को छोड़ दिया गया है. अनेक मुद्दों पर इसमें निरा प्रतिक्रियावादी रुख अपनाया गया है. लेकिन इसके साथ ही विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सवाल पर लोकदल का रुख प्रगतिशील है. तानाशाही और सांप्रदायिकता द्वारा पैदा हुए खतरे के साथ यह पूरा इंसाफ नहीं कर पाता. इसके घोषणापत्र के एक-एक शब्द से इस पार्टी की वर्गीय सीमाएं टपक रही हैं.

सी. पी. आई. (एम.)

वामपंथी विकल्प

देश के मौजूदा हालात में सही विकल्प वामपंथी शक्तियां ही प्रदान कर सकती थीं जिनका प्रजातंत्र में पूरा विश्वास है और जिनके पास सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का ठोस कार्यक्रम है.

किंतु, यदि पूरे देश को मध्येनजर रखा जाए तो हम पाएंगे कि ये शक्तियां अभी कमजोर हैं. सी.पी.आई.(एम) इसलिए जनता का आह्वान करती है कि जिन स्थानों पर सी.पी.आई. (एम.) तथा अन्य वामपंथी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में नहीं हैं वहां कांग्रेस (अर्स.) तथा लोकदल के उम्मीदवारों का समर्थन करें.

सी.पी.आई. (एम.) इन दो पार्टियों के वर्ग चरित्र से भली भांति परिचित है. इसे इन पार्टियों के कुछ नेताओं के अवसरवाद तथा आम जनता से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों पर उनकी प्रगति-विरोधी नीतियों का भी पूरा ज्ञान है. मजदूर वर्ग के प्रति रुख, केवल लघु उद्योगों द्वारा ही आर्थिक प्रगति का विचार,

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

जमशेदपुर में सीटू का बढ़ता प्रभाव

जमशेदपुर में हाल के सांप्रदायिक दंगे के बाद की हालत को सामान्य करने, मजदूर वर्ग की एकता को और मजबूत बनाने और वर्ग संघर्ष को तेजकर आंतरिक भय को मिटाने में सीटू ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है. दंगे के कारण सारे जमशेदपुर में कर्फ्यू, और पुलिस आतंक से जहां एक ओर सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, वहीं दूसरी ओर मजदूर संघर्ष भी कमजोर पड़ गया था. इस हालत का नाजायज फायदा उठाकर कारखाने के मालिकों ने विभिन्न तरीकों से मजदूरों पर हमला शुरू कर मजदूरों की मांगों को मानने से इंकार कर दिया था. सीटू की इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन ने मजदूर संघर्षों को तेज कर दमन का विरोध किया. प्रबंधकों को मजदूरों की मांगें मानने को मजबूर किया. इससे मजदूरों की एकता और सुदृढ़ हुई.

बिहार इ. एंड कस्ट्रक्शन कंपनी, जुगसलाई, ने यूनियन के चार सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को निकाल दिया था. इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने कर्फ्यू की परवाह किए बिना आठ दिन की सफल हड़ताल की जिसके बाद चारों कार्यकर्त्ताओं की नौकरी बहाल की गई.

सचदेव कंपनी जुगसलाई के प्रबंधन द्वारा कारखाना बंदी की घोषणा से 60 मजदूर बेकार हो गए थे. सीटू यूनियन ने इसका विरोध किया. अंत में बंदी की घोषणा वापस ली गई और सभी मजदूर फिर से काम पर गए. इसी यूनियन के नेतृत्व में जमशेदपुर रोलर फ्लावर मिल, सुंदरनगर के मजदूरों ने इन्हीं तनावपूर्ण दिनों में एक महीना 10 दिन की हड़ताल के बाद अपनी मांगें हासिल कीं.

यह समय बोनस भुगतान के दौर का भी था. मिल मालिकों ने 8.33% से ज्यादा बोनस न देने का फैसला किया. कुछ मालिक बोनस न देने के पक्ष में थे. लेकिन इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन (सीटू) ने गंहरिया से सुंदरनगर तक संघर्ष चलाया और बोनस हासिल किया.

भोगल इ-कंपनी, सुंदरनगर के मजदूरों ने 8 दिनों की हड़ताल के बाद 13%, भारद्वाज ब्रदर्स, जुगसलाई, के मजदूरों ने 12%, ईस्टर्न ई. एंड फार्उंड्री, आदित्यपुर के मजदूरों ने 15%, टर्नो इंडिया, आदित्यपुर के मजदूरों ने 9%, दिलीप मेटल कंपनी के मजदूरों ने 10% आटोमोबाइल एंसीलरी, आदित्यपुर के मजदूरों ने 10% तथा ए. बी. सी. मटैलर्जीकल कंपनी के मजदूरों ने 10% बोनस हासिल किया.

डी. आर. ई. कंपनी, आदित्यपुर, केडिया कंक्रीट, गंहरिया, हंसपाल, गंहरिया के प्रबंधन ने आज तक कभी मजदूरों को बोनस भुगतान नहीं किया था. लेकिन इस बार संघर्ष के बाद मजदूरों ने बोनस हासिल किया. सिंहभूम रिफ्रेक्ट्री गंहरिया के मजदूरों ने 15 दिन की हड़ताल के बाद बोनस हासिल किया. डी. डी. ट्रांसपोर्ट के मजदूरों ने 10% बोनस प्राप्त किया. इससे पहले 5 वर्षों से यहां के मजदूर 8.33% बोनस पाते थे.

तापाडिया सा मिल, बर्मामाइंस, के प्रबंधन ने सात मजदूरों की छंटाई कर दी थी. लेकिन 6 दिनों की सफल हड़ताल के बाद इन मजदूरों को वापस काम पर लिया गया और अन्य मांगों पर यूनियन से बातचीत के लिए प्रबंधन मजबूर हुआ. कास्टिंग इंडिया, गंहरिया के मजदूरों ने यूनियन को मान्यता देने की मांग पर 16 दिनों की सफल हड़ताल की. प्रबंधन ने मजबूर होकर यूनियन को मान्यता दी और अन्य मांगों पर एक अच्छा समझौता हुआ.

इस प्रकार जमशेदपुर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सीटू का प्रभाव काफी बढ़ रहा है और इलाके में सीटू सबसे ताकतवर यूनियन के रूप में उभर कर आई है.

अभी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विभिन्न कार्यवाहियों से सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि इस पर जल्द फैसला हो. आने वाले दिनों में इस मांग को लेकर पूरे बिहार में इंजीनियरिंग मजदूरों का संघर्ष जोरदार रूप लेगा और जमशेदपुर के मजदूर सीटू के नेतृत्व में इस संघर्ष की अगली कतार में रहेंगे.

रेलवे बोनस पर एटक की दोमुंही नीति

रेलवे बोनस के सवाल पर एटक के सचिवालय ने 14 नवंबर को एक वक्तव्य में कहा :

"एटक इस बात पर संतोष प्रकट करती है कि बोनस का मुद्दा जो काफी समय से उलझा हुआ था तथा जिस पर पिछली कांग्रेस व जनता सरकारों ने कभी कोई ठोस निर्णय न लिया आखिरकार सुलझ गया है. हम रेलवे कर्मचारियों को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उनके पिछले कुछ वर्षों के तीखे संघर्ष ने सरकार को यह फैसला लेने को बाध्य कर दिया."

एटक मुखपत्र 'ट्रेड यूनियन रिकार्ड' 5 दिसंबर के अंक में पहले पृष्ठ पर लिखा है :

"रेलवे कर्मचारियों को दिया जा रहा बोनस स्थगित वेतन की प्रचलित परिभाषा के अनुसार बोनस है ही नहीं. वास्तव में इस समझौते के द्वारा बोनस को स्थगित वेतन मानने की अवधारणा को त्याग दिया गया है...इस कारण यह बात सभी मजदूरों व ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए चिंता का विषय है कि सरकार ने स्थगित वेतनवाला बोनस का मूल सिद्धांत बिल्कुल नकार दिया है और रेलवे कर्मचारियों पर तथाकथित उत्पादकता से जुड़े हुए बोनस के सिद्धांत को जबरन लाद दिया है."

कामरेड जे. वी. स्तालिन

लेनिन के बाद दुनिया के सर्वहारा वर्ग के आंदोलन के महान नेता काम० जे. वी. स्तालिन का उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज हार्दिक सम्मान करती है.

लेनिन के कर्मठ सहयोगी के रूप में काम करते हुए काम. स्तालिन ने जारशाही रूस में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने में तथा 1917 की महान् अक्तूबर क्रांति को सफल बनाने में अहम योगदान दिया. उन्होंने नई क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ विदेशी साम्राज्यवादियों की चालबाजियों व देशी प्रतिक्रियावादियों के नापाक मंसूबों के खिलाफ संघर्ष में लेनिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया.

लेनिन की मृत्यु के बाद स्तालिन ने लेनिन की नीतियों से भटकाववादी रुझानों के विरुद्ध संघर्ष किया तथा मार्क्सवाद, लेनिनवाद व अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के परचम को थामे रखा. स्तालिन ने सोवियत रूस की तीन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने व क्रियान्वित करने में नेतृत्व प्रदान किया जिससे रूस में एक ठोस समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी.

स्तालिन ने फासीवाद व हिटलर की सेनाओं के खिलाफ संघर्ष में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी व सोवियत सेनाओं का मार्गदर्शन किया. इस संघर्ष में फासीवाद को विश्व के पहले समाजवादी राष्ट्र में करारी हार का मुंह देखना पड़ा.

स्तालिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने समाजवादी खेमे के शीर्षस्थ नेता थे. इस नेतृत्व के दौरान चीन व पूर्वी यूरोप में ऐतिहासिक क्रांतियां हुईं जिसने दुनिया के एक तिहाई हिस्से को दासता व शोषण की जंजीरों से मुक्त कर दिया.

एक मार्क्सवादी सिद्धांतकार के रूप में काम. स्तालिन ने कई किताबें लिखीं जिनकी आज के संदर्भ में भी अद्वितीय महत्व व सार्थकता है.

अपने अंतिम कुछ वर्षों में स्तालिन व्यक्तिवादी रुझान के शिकार हो गए. किंतु इस दौरान की गई कुछ गलतियों के बावजूद स्तालिन के योगदान का महत्त्व कम नहीं हो जाता.

दुर्भाग्यवश, स्तालिन की मृत्यु के बाद सोवियत रूस के भीतर स्तालिन पर कीचड़ उछाला गया तथा उसके योगदान को नकारने के प्रयत्न हुए. बाद में इस प्रकार के गलत रुझान बाहर भी अन्य देशों में फैले. हमें विश्वास है इन भटकाववादी रुझानों के बावजूद मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांतों में स्तालिन के योगदान को झुठलाया नहीं जा सकेगा.

काम. स्तालिन का नाम महान् अक्तूबर क्रांति से अलग नहीं किया जा सकता! उनकी याद सारी दुनिया के क्रांतिकारी लोगों के दिलों में अमर है!!

काम. स्तालिन अमर हैं!!!

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ दृढ़ संघर्ष

इंडिया फाइल्ज लिमिटेड की कमरहाटी फैक्ट्री के 1 हजार मजदूर पिछले 6 महीनों से प्रबंधकों की दमन की नीति के विरोध में हड़ताल पर हैं. याद रहे कि कंपनी इंग्लैंड की ब्रिटिश एल्यूमीनियम एंड बैकोफाइल्ज की सहायक कंपनी है. मजदूरों के मांगपत्र में अन्य मांगों के अतिरिक्त जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजदूरी, सौ से भी अधिक छटनी किए गए मजदूरों की बहाली, आपात्काल से पहले की सुविधाओं का दुबारा लागू होना, रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा रेशनलाइजेशन पद्धति की समाप्ति भी है. रेशनलाइजेशन पद्धति के परिणामस्वरूप मजदूरों को 'फालतू' घोषित किया जा रहा है व नौकरी मिलने की संभावनाओं को खत्म किया जा रहा है.

राज्य के श्रम मंत्री व श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप के बावजूद हठी प्रबंधक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और मजदूरों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं.

इस हड़ताल के कारण पश्चिम बंगाल की सरकार को अल्यूमीनियम की पट्टियां व फाइल्ज को महंगे दामों पर विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है.

इंडिया फाइल्ज लिमिटेड के मजदूर यह मांग करते हैं कि यदि यह कंपनी मजदूरों के साथ कोई समझौता नहीं करती तो पश्चिम बंगाल सरकार इस कंपनी को अपने हाथ में ले ले. फेडरेशन आफ मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्ज यूनियन (सीटू) ने 5 दिसबंर को एक बयान जारी करके मजदूरों के संघर्ष को पूरा समर्थन दिया है और संबद्ध यूनियनों से कहा है कि वे उनके साथ एकजुटता जाहिर करें.

दि वर्किंग क्लास

सी. आई. टी. यू. का अंग्रेजी मासिक

वार्षिक चंदा छः रुपये

एक प्रति 50 पैसे

मिलने का पता—

सी. आई. टी. यू. कार्यालय

6 ताल कटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979		
	अग.	सितं.	अक्तू.
बिहार			
जमशेदपुर	347	361	367
झारिया	340	347	364
कोडर्मा	372	370	395
मोंघाइर	384	386	380
नोआमुंडी	372	381	382
गुजरात			
अहमदाबाद	378	380	363
भाव नगर	375	377	374
हरियाणा			
यमुना नगर	378	385	385
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	361	366	358
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	378	384	391
भोपाल	362	366	363
ग्वालियर	372	379	383
इंदौर	378	381	374
महाराष्ट्र			
बंबई	361	360	365
नागपुर	350	360	368
शोलापुर	373	376	376
पंजाब			
अमृतसर	373	375	377
राजस्थान			
अजमेर	385	371	367
जयपुर	375	387	384
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	361	363	365
सहारनपुर	359	365	379
वाराणसी	404	412	414
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	368	372	375
कलकत्ता	354	355	357
दार्जीलिंग	295	301	311
हावड़ा	339	342	345
जलपाइगुरी	307	312	313
रानीगंज	359	362	363
दिल्ली	390	393	394
भारत	360	363	365

(लेबर ब्यूरो, शिमला) *

शोक समाचार

कामरेड पद्मनाभन

सीटू की कालीकट जिला कमेटी के अध्यक्ष व सीटू की जरनल काउंसिल के सदस्य काररेड के. पद्मनाभन के 18 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ जाने के कारण असामयिक निधन पर सीटू खेद प्रकट करती है. वे 59 वर्ष के थे.

कामरेड पद्मनाभन ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक टाइल मजदूर के रूप में 1937 से भाग लेना शुरू किया और वे मजदूर-वर्ग संघर्ष को दूसरों को प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ाते रहे. उनके इस असामयिक निधन से, देश के मजदूर-वर्ग आंदोलन और खास तौर से केरल के आंदोलन ने मजदूरों की मुक्ति के लिए एक महान योद्धा खो दिया है.

सीटू उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके शोकग्रस्त परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है.

मजदूरों जरा सोचिए !

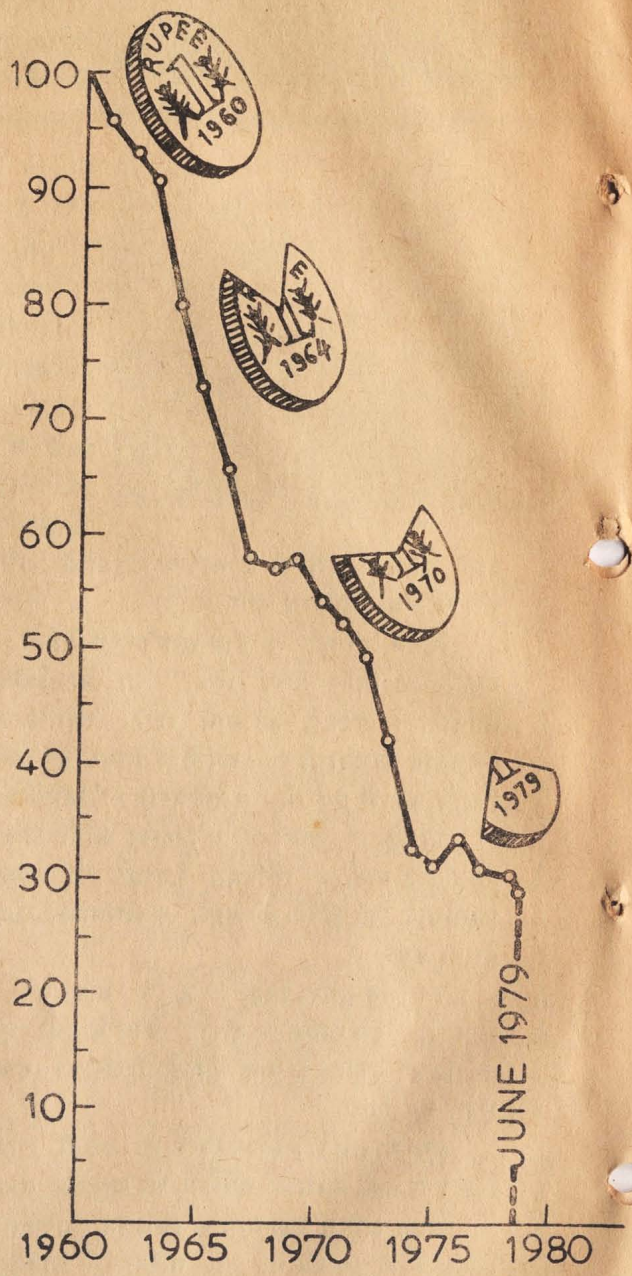

आज रुपये की क्या कीमत है

रूपये का मान तेजी से गिरता जा रहा है. 1960 की कीमतों की तुलना में एक रूपये का असल मान जून 1979 में मात्र 29 पैसे था. साल खत्म होते होते इसमें से 2 पैसे और कम हो गए. इस प्रकार, ज्यादातर मामलों में मजदूरों ने जो वेतनवृद्धियां प्राप्त की हैं उनको रूपये के गिरते मान ने चौपट कर दिया है.

वामपंथी ताकतों को मजबूत बनाओ

[पृष्ठ नौ से आगे]

सार्वजनिक क्षेत्र का विरोध आदि कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें हमारी पार्टी नहीं मान सकती. लेकिन इन सब बातों के बावजूद जहां तक ये दो पार्टियां तानाशाही व सांप्रदायिकता की शक्तियों से संघर्ष की बात करती हैं, इन्हें इन दोनों चुनौतियों को हराने में समर्थन मिलना चाहिए.

चुनाव के बाद के दौर में प्रजातंत्र तथा आम जनता की रोजी-रोटी की लड़ाई तब तक भली भांति नहीं लड़ी जा सकती जब तक संसद में सी.पी.आई.(एम.) तथा अन्य वामपंथी पार्टियों की शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो जाती.

सी.पी.आई.(एम) बड़े गर्व के साथ जनता के सामने अपनी पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की सरकारों का रिकार्ड प्रस्तुत करती है. कोई भी समझदार व्यक्ति जो इन दो सरकारों तथा अन्य कांग्रेस (आई.) या जनता द्वारा चलाई जा रही सरकारों की तुलना करेगा खुद भी इनका अंतर समझ सकता है.

पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के बनते ही लोगों के जनवादी अधिकार बहाल कर दिए गए. जनता के संघर्षों में पुलिस के हस्तक्षेप को रोक दिया गया. मेहनतकश लोगों के हड़ताल के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया. मजदूर वर्ग की वेतन में संशोधन तथा बोनस की जायज मांगों में सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिला. बड़े जूट थलीशाहों की शक्ति को कमजोर बना दिया गया व मजदूरों के लिए वेतनवृद्धि प्राप्त की गई. पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांगों की ओर तत्काल ध्यान दिया. पिछले एक दशक से उन पर हो रहे विकिटमाइजेशन को समाप्त कर दिया गया, जबरन निकाले गए कर्मचारियों को उनके स्थानों पर बहाल कर दिया गया, उनकी पिछली बकाया राशि के अधिकांश हिस्से को तत्काल वापिस कर दिया गया और कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता दे दी गई.

कृषि के क्षेत्र में सरकार की सफलताएं और भी अधिक रही. किसानों को जमींदारों के जुल्म से बचाने के लिए कानून पास किए गए और इन कानूनों को ईमानदारी से लागू किया गया. किसानों की जोती जा रही जमीन पर कानूनी स्वामित्व दिया गया.

वामपंथी मोर्चा सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया कानून लैंड होल्डिंग बिल 1979 बुनियादी भूमि सुधारों की दिशा में एक और बहादुर कदम है.

क्या कोई और ऐसा राज्य है जहां 'काम के बदले अनाज' योजना को ग्रामीण जनता को इतना फायदा पहुंचाते हुए अमल में लाया गया है? क्या और कोई ऐसा राज्य है जहां ऐसी विनाशकारी बाढ़ में हर पीड़ित व्यक्ति को कम से कम समय में सहायता पहुंचाई गई? इस प्रकार का अभूतपूर्व काम इसलिए संपन्न हो पाया क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को रात और दिन बाढ़ पीड़ित जनता की सेवा के लिए प्रेरित किया गया. कोई आश्चर्य नहीं कि पंचायत के चुनावों में जनता ने वामपंथी मोर्चे को अपार बहुमत से विजयी बनाया. यह भारी जीत सी. पी.आई.(एम.) में निहित किसानों के अटूट विश्वास को दर्शाती है.

सी.पी.आई.(एम.) तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने के अपने वायदे को दोहराती है और लोगों का आह्वान करती है कि होने वाले चुनाव में इन तानाशाही शक्तियों को परास्त करें. सी.पी.आई.(एम.) सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का वायदा करती है और लोगों से अपील करती है कि वे जनता पार्टी के खिलाफ वोट दें. सी. पी. आई. (एम.) निहित स्वार्थों के विरुद्ध संघर्ष करने का तथा किसानों, खेतिहर मजदूरों, कर्मचारियों तथा मजदूरों के हितों की रक्षा करने का वचन देती है. सी.पी.आई. (एम.) मुस्लिम अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है. सी.पी.आई.(एम.) गुट-निरपेक्ष विदेश नीति का अनुसरण करने को दृढ़संकल्प है और इस नीति के तहत समाजवादी देशों से मित्रता व साम्राज्यवाद से संघर्षरत अफ्रीका व अरब देशों की जनता का पूरा समर्थन करने का संकल्प करती है. सी.पी.आई.(एम.) वियतनाम से एकजुटता दर्शाती है और कम्पूचिया को मान्यता देने की मांग करती है. संसद में चुने गए सी.पी.आई.(एम.) के सदस्य इन वायदों पर वफादार रहेंगे और जनवाद, आर्थिक न्याय तथा विश्व की साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों से दोस्ती के झंडे को बुलंद रखेंगे.

ग्रिंडलेज बैंक में हड़ताल जारी

नई दिल्ली के मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के 12 नवंबर से जायज समझौता कराने के प्रयत्न 19 नवंबर को असफल रहे क्योंकि प्रबंधकों ने त्रिपक्षीय बातचीत के दूसरे दौर में भाग लेने से इस बहाने से इंकार कर दिया कि कलकत्ता में उनके तीन अफसरों पर हमले हुए हैं और जब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाती, प्रबंधक यूनियन के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी. प्रबंधकों का यह जिद्दी रवैया अपनाए जाने के कारण यह हड़ताल लंबी खिंची है जो कर्मचारियों के दृढ़ संकल्प द्वारा एकजुट होकर चलाई गई है.

इस संघर्ष को, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, बैंक, एल. आई. सी., जी. आई. सी., रिजर्व बैंक और व्यापारी फर्मों की ट्रेड यूनियनों द्वारा समर्थन मिला है व एकजुटता कार्यवाही करने के संदेश आ रहे हैं. 21 दिसंबर को, पश्चिम बंगाल में, ग्रिंड्लेज बैंक कर्मचारियों के संघर्ष के समर्थन में सभी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों ने पूरे दिन की हड़ताल की.

पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने केंद्रीय सरकार से इस मामले में प्रभावपूर्ण ढंग से दखल देने का अनुरोध किया है. श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने प्रबंधकों को इस मामले को दोतरफा बातचीत जो अब 27 दिसंबर को बंबई में होनी तय हुई है. सारा जायज तरीके से हल करने का आह्वान किया है.

उत्तर प्रदेश विधान सभा पर मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के लगभग 30,000 मजदूरों ने संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति, उत्तर प्रदेश, के आह्वान पर लखनऊ में विधान सभा के सामने 15नवंबर को एक जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में सूती, ऊनी, जूट, रेशम, खाद, इंजीनियरिंग, चमड़ा, बिजली, पी. डब्ल्यू. डी., बैंक, बीमा, रोडवेज, डाक-तार, रेलवे, डिफेंस आदि उद्योगों के मजदूरों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया.

इस प्रदर्शन का फैसला 23 सितंबर को लखनऊ में मजदूर-सम्मेलन में लिया गया था. इस प्रदर्शन से पहले पूरे प्रदेश में सारे औद्योगिक केंद्रों पर संयुक्त प्रदर्शन आयोजित किए गए थे.

इस संयुक्त-प्रदर्शन में बी.एम.एस. और इंटक ने अपनी मालिक परस्त, फूट परस्त और अलगाववादी प्रवृत्तियों के कारण हिस्सा नहीं लिया. इन दोनों को छोड़ कर सीटू, एटक, एच. एम. एस., उटक, आल इंडिया डिफेंस एंप्लाईज फेडरेशन, यू. पी. बैंक एंप्लाईज यूनियन, आल इंडिया इंश्योरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन, राष्ट्रीय डाक-तार कर्मचारी संघ, रोड-वेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, नार्दर्न रेलवेमेंज यूनियन, लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, से संबंधित श्रमिकों, उत्तर प्रदेश जनवादी नवजवान सभा, कामगार महिला समिति के कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया.

प्रदर्शनकारी श्रमिकों की ओर से एक ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सीटू की ओर से रवि सिंहा शामिल थे, मुख्य मंत्री की गैरहाजिरी में वित्तमंत्री से मिला और उन्हें मुख्य-मंत्री के नाम 20 मांगों का एक ज्ञापन दिया. ज्ञापन में बढ़ती महंगाई रोकने, मूल्य सूचकांक में घांघली खत्म करने, बोनस, बेरोजगारी भत्ता, विद्युत कटौती, छंटनी व तालाबंदी खत्म करने, ट्रेड यूनियन अधिकारों की सुरक्षा, सामू-हिक सौदेबाजी, गुप्त मतदान से यूनि-यनों को मान्यता, विक्टिमाइजेशन खत्म करने, मुअत्तिल श्रमिकों को नौकरी पर बहाल करने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, महिला कामगारों की छंटनी बंद करने, प्रसूति सुविधा कानून का पालन करने, भूमिहीनों व खेतिहर मजदूरों को सूखे के कारण राहत देने, सभी पुलिस बलों की न्यायोचित मांगें मानने, आदि की मांगें शामिल थीं.

सभा में वक्ताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे समूचे राज्य में एक दिन की हड़ताल करेंगे. अपनी मांगों पर जोर देने के लिए समूचे राज्य में 4 से 15 दिसंबर तक एक मांग सप्ताह मनाया गया. 14 दिसंबर को सारे उद्योगों में सभाएं, धरने व प्रदर्शन आयोजित किये गये. 15 दिसंबर को पूरे प्रदेश के समस्त जिला केंद्रों पर सामूहिक रूप से संयुक्त धरनों व प्रदर्शनों को आयोजित किया गया. इस संयुक्त प्रदर्शन में सीटू एक मुख्य शक्ति के रूप में शामिल हुई.

त्रिपुरा में सीटू के बढ़ते कदम

त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चा सरकार के सत्ता संभालने के साथ वहां के मजदूर वर्ग में एक नई जागरुकता आ रही हैं. यह जागरुकता सरकार की सकारात्मक भूमिका और सीटू कार्यकर्त्ताओं के अथक परिश्रम से ही संभव हो सकी है.

'सीटू मजदूर' के पिछले अंक में हमने सीटू द्वारा चाय और रबड़ उद्योगों में मजदूर आंदोलन की अगुवाई करने की खबरें प्रकाशित की थीं. इस अंक में हम सीटू के नेतृत्व में हुए हथकर्घा मजदूरों, जूट मजदूरों व दिन मजदूरों के संघर्ष की संक्षिप्त रपटें प्रकाशित कर रहे हैं.

हथकर्घा : साठ हजार हथकर्घों व एक लाख पच्चीस हजार मजदूरों को लिए हुए यह एक बीमार उद्योग है जो जिन्दा-भर रहने के लिए संघर्ष कर रही है. इस उद्योग की मुख्य समस्या कटौती-मूल्यों पर कपड़े का न मिलना है. सीटू से सम्बद्ध 'त्रिपुरातंत शिल्प श्रमिक यूनि-यन के तीन हजार मजदूरों ने एक मुहिम छेड़ी तथा पिछले 31 अगस्त को एक 'मांग दिवस' भी मनाया. दस हजार से भी अधिक मजदूर एक सामूहिक प्रति-निधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री के पास गए, जबकि यूनियन सचिव कामरेड अखिल देबनाथ के नेतृत्व में 12 सदस्यों के एक शिष्ट मंडल ने हथकर्घा उद्योग के मजदूरों की मांगों का ज्ञापन उन्हें दिया.

दिन मजदूर : सीटू ने उन दैनिक मजदूरों को संगठित करने में भी अगुवाई की जो राज्य के मजदूरी पाने वाले मेहनतकश लोगों का काफी बड़ा भाग है. हाल ही में "त्रिपुरा राज्य दिन मजदूर संघ' के रूप में एक यूनियन का गठन किया गया. सितम्बर 7 को एक 'मांग दिवस' मनाया गया, जिसमें राज्य के सभी भागों ने शिरकत की. राज्य की राजधानी अगरतला में यूनियन के सचिव कामरेड चित्ताचंदा के नेतृत्व में एक सामूहिक प्रतिनिधि-मंडल राज्य के श्रम-मंत्री से मिला व उन्हें ज्ञापन दिया.

जूट मजदूर : सीटू ने जूट गोदामों में कार्यरत मजदूरों को संगठित कर एक यूनियन 'त्रिपुरा राज्य पत श्रमिक संघ' बनाई और बोनस की मांग के लिए 21 सितम्बर को एक सांकेतिक हड़ताल की गई. इस संघर्ष में दो हजार से अधिक मजदूरों ने भाग लिया.

सीटू अन्य संगठनों जैसे 'त्रिपुरा मोटर कर्मी समिति' की भी मदद करती है जो किसी भी केंद्री या संगठन से संबद्ध नहीं है. इस यूनियन ने पांच हजार रोजगार-प्राप्त मजदूरों जो अब बेरोजगार हैं सहित मोटर यातायात मजदूरों की मांगों पर पिछले 14 सितम्बर को एक सामूहिक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था.

वार्षिक ग्राहक

अपने चंदे का नवीकरण कृपया तुरंत करा लें

—मैनेजर

सार्वजनिक संस्थानों में चुनावों तक समझौतों पर रोक

केबिनेट सेक्रेटेरियट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के सभी मुख्य अधिकारियों को यह सर्कुलर जारी किया गया कि आगामी चुनावों से पहले यूनियनों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और कोई भी अतिरिक्त धन संबंधी मांग मान्य नहीं होगी. इस सर्कुलर ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों में गहरा असंतोष भर दिया है.

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में बातचीत के दौरान सरकार द्वारा दखल देने का यह दूसरा अवसर है. 'भेल' और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में समझौता हो गया था और अन्तिम समझौता दिसबंर में होना था लेकिन सरकारी निर्देशों ने समझौते के होने में रोक लगा दी. इस्पात उद्योग में, 5 और 6 दिसबंर को एन. जे. सी. सी. की मीटिंग भी इन निर्देशों के कारण कोई काम नहीं कर सकी. 'भेल' ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग जो 22 और 23 दिसंबर को होनी निश्चित हुई थी, ऐसे वक्त पर उच्चस्तरीय हस्तक्षेप से रोकी गई. हिंदुस्तान कापर में तो कहा जाता है कि समझौते का आरम्भ ही इन निर्देशों के कारण नहीं हो सका.

कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने ट्रेड यूनियनों से इस मनमाने आदेशों के कारण आगे बातचीत बंद कर दी.

दिल्ली में तकरीबन सभी मंत्री चुनावों के लिए दौरों पर गये हुए हैं और उनके पास मजदूरों की शिकायतों को सुलझाने का समय नहीं है. अफसरशाही को इन समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी छूट मिली है.

कई संघर्ष चुनाव प्रचार के दौरान चल रहे हैं और दीर्घ कालीन संघर्ष लड़े जा रहे हैं जबकि सरकारी साधन एक चुपचाप दर्शक की तरह बर्ताव कर रहे हैं. इसीलिए ट्रेड यूनियनों के द्वारा किए गये प्रतिरोधों से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती.

कुद्रेमुख में पुलिस कार्यवाही की मांग

मल्लेश्वर में कुद्रेमुख आइरन ओर प्रोजेक्ट में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मजदूरों ने 30 अक्तूबर को सीटू कार्यकर्ताओं पर हमला किया. इस हमले में प्रबंधकों व पुलिस की पूरी मिलीभगत थी. पुलिस ने सीटू मजदूरों की कोई सहायता करने के बजाय उल्टा उन्हीं पर लाठीचार्ज किया. बाद में सीटू मजदूरों के विरुद्ध झूठे फौजदारी के मुकदमे भी दायर किए गए.

इस घटना के परिणामस्वरूप परियोजना में एक शांति समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष सी. आई. एस. एफ. के इंस्पैक्टर लक्ष्मण राव हैं. 25 दिसंबर को मल्लेश्वर में समिति ने एक आम सभा का आयोजन किया जिसमें एक प्रस्ताव द्वारा यह मांग की गई कि उन असली अपराधियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए जो इस घातक हमले के लिए जिम्मेदार हैं. इस प्रस्ताव में यह मांग भी की गई कि सभी घायल मजदूरों के साथ अस्पताल में समान व्यवहार किया जाए.

इससे पहले 19 नवंबर को एक आम सभा में एच. एस. सी. एल. कर्मचारी एसोसियेशन के अध्यक्ष के. रामदास आचार्य, सीटू की कर्नाटक शाखा के महासचिव सी. नजुंदप्पा और एच.एस. सी. एल. कर्मचारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति के सदस्य प्रेम राजन ने भाषण दिए. सभा में सीटू मजदूरों पर हुए हमले की भर्त्सना की गई तथा उनके खिलाफ दायर किए गए सभी झूठे पुलिस केसों को वापस लेने की भी मांग की गई. इस सभा में ई. सी. सी. तथा एम. आई. सी. ओ. (माइको) के मजदूरों के संघर्ष के साथ एकजुटता जाहिर की गई. इस सभा में एच. एस. सी. एल. मजदूरों को इस्पात मजदूरों के बराबर वेतन देने, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एच. एस. सी. एल. मजदूरों को फैक्ट्री अथवा खान परियोजनाओं में नौकरी देने तथा ठेका पद्धति को समाप्त करने की मांग भी की गई.

मांग दिवस मनाया गया

पश्चिम बंगाल के केंद्रीय सरकार के केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और मजदूरों ने अपने कनफेडरेशन के आह्वान पर 18 दिसंबर को बड़ी तादात में प्रदर्शन व जलूस किये और राजभवन के पास एक विशाल रैली आयोजित की. रैली, सिसिर भट्टाचार्य, दीपेन घोष, सेला भट्टाचार्य और समीर बैनर्जी आदि द्वारा संबोधित की गई. रैली के बाद, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को प्रधान मंत्री के नाम एक स्मरण पत्र दिया गया जिसमें (1) अन्य सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्योगों के समान वेतन और महंगाई में वृद्धि की पूरी भरपाई (2) केंद्रीय सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों और मजदूरों, को 8.33% बोनस, (3) विक्टिमाइजेशन का खात्मा, (4) सेवा नियम लोकतांत्रिक बनाना, (5) कैजुअल, एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंटल, बंधक और थोड़े समय के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई करना आदि शामिल है.

रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्रीय सरकार की, बोनस को उत्पादकता जोड़ने की नीति की घोर निंदा की ओर यह चेतावनी दी कि अपनी मांगों को तुरंत हल करवाने के लिए उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ सकता है.

काल्टा में धरना व प्रदर्शन

काल्टा के सभी खान क्षेत्रों में 5 व 6 दिसंबर को यूनाइटेड माइंज मजदूर यूनियन (सीटू) द्वारा अपनी मांगों को एन. जे. सी. सी. की मीटिंग में रखने के लिए प्रदर्शन व धरने किए. मजदूरों की मांगों में अस्थायी मजदूरों व ठेका मजदूरों को स्थायी करना व न्यूनतम वेतन देना, ठेका मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना, प्राविडेंट फंड और लोन देना और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना आदि शामिल है. यूनियन के सेक्रेटरी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो मजदूरों को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा.

चीनी उद्योग में सांकेतिक हड़ताल

उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में काम करने वाले एक लाख से अधिक मजदूरों की हालत बराबर गिरती जा रही है. दूसरे बड़े उद्योगों के मुकाबले उनका वेतनमान काफी नीचे है. गत वर्षों से चीनी मिल मजदूरों के वेतन, ग्रेड और पदों में कोई संशोधन नहीं किया गया. बल्कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण प्रबंधकों ने अपना हमला और तेज कर दिया है. मजदूरों से वे सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं जो उन्हें वर्षों से प्राप्त थीं.

27, 27 अक्तूबर को मसूरी के त्रिपक्षीय सम्मेलन में सरकार ने जो मजदूर प्रतिनिधियों को आश्वासन दिए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है. प्रदेश की कई मिलें बंद पड़ी हैं और कई के बंद होने का खतरा है. इससे हजारों मजदूरों को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है.

लखनऊ में 11 नवंबर को सीटू, एटक, एच. एम. एस. और यू.टी.यू.सी. ने मांगों के एक चार्टर पर 2 दिसंबर को लखनऊ में एक संयुक्त सम्मेलन बुलाने का फैसला किया था. इस सम्मेलन में भारी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया. बी. एम. एस. और इंटक ने इसमें हिस्सा नहीं लिया. 2 दिसंबर के इस सम्मेलन में लिए गए फैसले के मुताबिक मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रांतीय स्तर पर संयुक्त रूप से 28 दिसंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई. इससे पहले हड़ताल की तैयारी के लिए कई पर्चे निकाले गए और कार्यकर्त्ता मीटिंगें, आम सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन, चार्किंग, पोस्टरिंग आदि की गई. इंटक और बी. एम. एस. ने अनुरोध के बावजूद भी हड़ताल में भाग नहीं लिया.

इस सांकेतिक हड़ताल का अगर सरकार और प्रबंधकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो पूरे राज्य के एक लाख से अधिक चीनी मिल मजदूर जनवरी 1980 में आम हड़ताल करेंगे. चीनी मिल मजदूरों की मांगे हैं—जरूरत पर आधारित 500 रूपया न्यूनतम वेतन, 100 रूपया मासिक तत्काल अंतरिम बढ़ोत्तरी, एक रूपया 50 पैसे प्रति प्वाइंट की दर से महंगाई भत्ता, बंद चीनी मिलों को तुरंत खोला जाए, मौसमी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अन्य भत्ते, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ती, आवास सुविधा, स्थायी आदेशों में उचित संशोधन गन्ने का मूल्य चालू सीजन में 20 रूपये क्विंटल, गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का तुरंत भुगतान आदि.

देहरादून बंद

इंडियन इंस्टिच्यूट आफ पेट्रोलियम देहरादून के कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों के लिए तथा अपने साथियों पर किये गये अत्याचारों के विरूद्ध लगभग तीन महीने से संघर्षरत है. मैनेजमैंट ने, सितंबर में बिना कोई कारण बताए एक मजदूर को मुअत्तिल और दो को सस्पेंड कर दिया और अनेक को मुअत्तिल करने की साजिशें चल रही हैं. मैनेजमैंट की हट-धर्मी के कारण जिला सभी ट्रेड यूनियनों जिला प्रशासन व श्रमायुक्त के समझौता करवाने के प्रयत्न असफल रहे. इस दौरान, डिस्ट्रिक्ट ट्रेड यूनियंस फ्रंट ने एक बड़ी मजदूर रैली और कई सभाएं की. सीटू ने आई.आई.पी. के गेट पर अनिश्चित कालीन क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है. मैनेजमैंट के इस अड़ियल रवैये के कारण सभी ट्रेड यूनियनों ने 18 दिसंबर देहरादून में सफल को सांकेतिक बंद का आयोजन किया.

प्रबंधकों पर मुकद्दमा

सहायक श्रमायुक्त, श्रम कार्यालय ने जे. सी. मिल्स मालिकान पर ग्वालियर न्यायालय में 12 दिसंबर को एक मुकद्दमा दायर किया जो इस प्रकार का पहला मुकद्दमा है. याद रहे कि जे. सी. मिल्स के श्रमिक सुमेरलाल जनरल फिटर को बिना जांच के मुअत्तिल कर दिया गया था.

अधीनस्थ कर्मचारी संघर्ष की राह पर

नारनौल, हरियाणा में 15 नवंबर को स्थानीय कार्यालयों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक विशाल सभा की जिसका आयोजन हरियाणा सबोर्डिनेट सर्विसिज फेडेरेशन व राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ (पशुपालन व स्वास्थ्य विभाग), पटवारी यूनियन, अध्यापक संघ आदि ने किया. कर्मचारी संघ ने कटोच वेतन आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू करने तथा संशोधित वेतनमान को 1.1.79 से लागू करने, तदर्थ कर्मचारियों को तुरन्त स्थाई करने, मैट्रिक पास क्लास फोर्थ कर्मचारियों की पदोन्नति करने व वर्क चार्ज कर्मचारियों पर भी वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की. सभा में फरीदाबाद मजदूर हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी. इसके बाद कमिश्नर के घर तक एक रैली आयोजित की गई.

पी. डब्ल्यू. डी. मजदूरों द्वारा प्रदर्शन और सभाएं

अपनी मांगों के समर्थन में बुलंदशहर के पी. डब्ल्यू. डी. मजदूरों ने 11 नवंबर को एक सभा और प्रदर्शन का आयोजन किया. सभा के बाद पी. डब्ल्यू. डी. के मंत्री अन्य सदस्यों के साथ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने गये जिसने उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया. याद रहे कि कुछ दिनों पहले ही इंजीनियर महोदय ने न केवल मिलने से इंकार दिया था बल्कि यूनियन को खत्म करने का भी बीड़ा उठाया.

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति मनोरंजन राय

निरेन घोष सुधिन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित